कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड शासन

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेलः cfwestern49@rediffmail.com.

पत्र संख्या / 12-1 हल्द्वानी दिनांक, 31 दिसम्बर 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल, मिनी स्टेडियम, लालकुंआ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक—8बी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/1413 दिनाँक—12.01.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा आपत्ति लगायी गयी थी, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या 3697/12—1 दिनांक 21.12.2022 से आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः—

क.सं.	आपत्ति	उत्तरालेख
1	बिन्दु संख्या—01,02 एवं 03 को संज्ञान में लेते हुये यह ज्ञात होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु लिया गया क्षेत्रफल (area), वन भूमि के प्रत्यावर्तन की प्राथमिक शर्त जिसके अनुसार 'minimum area requirement' हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिये की पूर्ति नहीं करता है। सभी प्रस्तावित components हेतु चाहा गया क्षेत्र अत्यधिक जान पड़ता है इसके अतिरिक्त 30-40% क्षेत्र प्रत्येक components के साथ अतिरिक्त लिया गया हैं तथा कुल क्षेत्रफल में पुनः 10% भी अतिरिक्त लिया गया है जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के मानकों के अनुरूप साइट प्लान तैयार किया गया है, जो कि प्रति वर्ष 10—11 खेल विधाओं में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हेतु आवश्यक है। उक्त भूमि पर 200मी0 का रनिंग ट्रैक के अलावा बॉलीबाल कोर्ट, खो—खो कोर्ट, कबड्डी, कुश्ती पिच आदि का निर्माण किया जायेगा एवं साथ ही अन्य निर्माण कार्य किये जायेंगे—जैसे प्रशासकीय ब्लॉक, मल्टीपरपज हॉल, पम्प हाउस व जेनेरेटर रूम, बाउड्रीवाल, पवेलियन, इण्डोर गेम हॉल, चेन्जिंग रूम, गार्ड रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, पेयजल व्यवस्था अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य होंगे, जिस हेतु अतिरिक्त भूमि की आवष्यकता है।
2	मिनी स्टेडियम हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टैन्डर्ड डिजाइन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में (प्रस्ताव क्रम FP/UK/OTHRRS/50039/2020) sports Stadium 1.5 है0 क्षे0 का अनुमोदन किया गया है। अतः प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र 4.9962है0 दर्शाया गया है, जो अत्यधिक है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार सम्बन्धित आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या/साइट प्लान ऑनलाइन Part 01- Additional Information में अपलोड कर दिया गया है। परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय द्वारा बनाया गया Standard Design पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अवगत कराया गया है कि 1.5 है0 के अतिरिक्त अन्य खेल सुविधाओं के विकास हेतु 4.9962 है0 भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। जिन्हें ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड कर दिया गया है।

Scanned with CamScanner

क.सं.	आपत्ति	उत्तरालेख
3	साथ ही समीप एक अन्य खेल मैदान उपस्थित है। अतः नये क्षेत्र में 365 वृक्षों के पातन उपरान्त एक अतिरिक्त स्टेडियम का निर्माण मान्य नहीं है। अतः अनुरोध है कि पूर्व स्थित खेल मैदान पर ही standerd desine के अनुसार खेल स्टेडियम निमार्ण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि के आस–पास कोई भी अन्य खेल मैदान नहीं हैं। साथ ही आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या/संयुक्त रिपोर्ट Part-1, Additional Information में अपलोड कर दी गयी है एवं अवगत कराया गया है कि विभाग यह प्रयास करेगा कि उक्त स्टेडियम निर्माण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा, एवं विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण विषयक प्रमाण–पत्र भी अपलोड किया है। प्रस्तावित भूमि के उत्तर में ITBP बाउन्ड्री वाल (वन भूमि हस्तान्तरित), दक्षिण में वन विकास निगम का प्रकाष्ठ डिपो भण्डारण हेतु, पूरब में ITBP बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग, पश्चिम में इण्डियन ऑयल डिपो से लालकुआं 25 एकड़ मार्ग तथा आवासीय प्रयोजन हेतु सेंचुरी पेपर मिल को लीज पर दी गयी वन भूमि है।
4	बिन्दु संख्या 08 के सापेक्ष उपयुक्तता प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि CA क्षेत्र का निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं कृपया प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त यह पुष्टि करें प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा क्षेत्र में विघमान वृक्षों का गणना पत्रक भी प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया तथा अपनी पत्र सं0–1096/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 27.09.2022 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या Parivesh portal में Part-1, Additional Information में upload कर दी गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों सहित सादर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1114 / **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 3697/12–1 दिनांक 21.12.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

Scanned with CamScanner

22-12-22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 3697 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 21-12-2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहननाथ गोस्वामी मेमोरियल, मिनी स्टेडियम, लालकुआँ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/Others/21599/2016**)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/1512 दिनाँक–22.12.21 व पत्रांक–8बी./यू.सी. पी./09/60/2021/एफ0सी0/1413 दिनाँक–12.01.2022।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल के पत्रांक–665/यु0क0/श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0/2022–23 दि0–03.11.2022 द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है। जिसकी प्रति मूल में संलग्न है।**(संलग्न–1)**

क.सं.	EDS	आपत्ति का निराकरण /आख्या
1	बिन्दु संख्या–01,02 एवं 03 को संज्ञान में लेते हुये यह ज्ञात होता है कि विभिन्न निर्माण अनुसार कार्यो हेतु लिया गया क्षेत्रफल (area), वन भूमि के प्रत्यावर्तन की प्राथमिक शर्त जिसके अनुसार 'minimum area requirement' हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिये की पूर्ति नहीं करता है। सभी प्रस्तावित components हेतु चाहा गया क्षेत्र अत्यधिक जान पड़ता है इसके अतिरिक्त 30-40% क्षेत्र प्रत्येक components के साथ अतिरिक्त लिया गया हैं तथा कुल क्षेत्रफल में पुनः 10% भी अतिरिक्त लिया गया है जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक–665/यु0क0/श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0/2022–23 दि0–03.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के मानकों के अनुरूप साइट प्लान तैयार किया गया है, जो कि प्रति वर्ष 10–11 खेल विधाओं में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हेतु आवश्यक है। **उक्त भूमि पर 200मी0 का रनिंग ट्रैक के अलावा बॉलीबाल कोर्ट, खो–खो कोर्ट, कबड्डी, कुश्ती पिच आदि का निर्माण किया जायेगा एवं साथ ही अन्य निर्माण कार्य किये जायेंगे–जैसे प्रशासकीय ब्लॉक, मल्टीपरपज हॉल, पम्प हाउस व जेनेरेटर रूम, बाउड्रीवाल, पवेलियन, इण्डोर गेम हॉल, चेन्जिंग रूम, गार्ड रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, पेयजल व्यवस्था अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य होंगे, जिस हेतु अतिरिक्त भूमि की जरूरत है।**
2	मिनी स्टेडियम हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टैन्डर्ड डिजाइन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में प्रस्ताव क्रम(FP/UK/OTHRRS/50039/2020) sports Stadium 1.5 है0 क्षे0 का अनुमोदन किया गया है। अतः प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र 4.9962है0 दर्शाया गया है, जो अत्यधिक है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक–665/यु0क0/श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0/2022–23 दि0–03.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत। जो कि उक्त साइट प्लान में ऑनलाइन part 01- additional information में अपलोड कर दिया गया है। परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई(निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय द्वारा बनाया गया standard design पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। 1.5 है0 के अतिरिक्त अन्य खेल सुविधाओं के विकास हेतु 4.9962 है0 भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। जिन्हें ऑनलाईन Part-1, Additional Information में अपलोड कर दिया गया है।

4003
17-7
13-12-22

Scanned with CamScanner

	साथ ही समीप एक अन्य खेल मैदान उपस्थित है। अतः नये क्षेत्र में 365 वृक्षों के पातन उपरान्त एक अतिरिक्त स्टेडियम कां निर्माण मान्य नहीं है। अतः अनुरोध है कि पूर्व स्थित खेल मैदान पर ही standerd desine के अनुसार खेल स्टेडियम निमार्ण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक–665 / यु0क0 / श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0 / 2022–23 दि0–03.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्तावित भूमि के आस–पास कोई भी अन्य खेल मैदान नहीं हैं। साथ ही कार्यालय पत्र संख्या–713 / श0मो0ना0गो0–मिनी स्टे0 / 2021–22 दिनांक–29.10.2021 के द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत।(संलग्न) संयुक्त रिपोर्ट Part-1, Additional Information में अपलोड कर दी गयी है। एवं विभाग ये प्रयास करेगा कि उक्त स्टेस्डियम निर्माण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा, एवं विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण विषयक प्रमाण–पत्र भी अपलोड किया है। प्रस्तावित भूमि के उत्तर में ITBP बाउन्ड्री वाल (वन भूमि हस्तान्तरित), दक्षिण में वन विकास निगम का प्रकाष्ठ डिपो भण्डारण हेतु, पूरब में ITBP बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग, पश्चिम में इण्डियन ऑयल डिपो से लालकुआं 25 एकड़ मार्ग तथा अवासीय प्रयोजन हेतु संचुरी पेपर मिल को लीज पर दी गयी वन भूमि है।
4	बिन्दु संख्या 08 के सापेक्ष उपयुक्तता प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि CA क्षेत्र का निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं कृपया प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त यह पुष्टि करें प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा क्षेत्र में विघमान वृक्षों का गणना पत्रक भी प्रस्तुत करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया पत्र सं0–1096 / 12–1–2 बागेश्वर दिनांक 27.09.2022 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या Parivesh portal में part-1, Additional Information में upload कर दी गयी है। संलग्न–2

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या एवं संलगनक सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक–3697 / 12–1 / उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र लालकुआं।
3. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल को उनके पत्रांक–665 / यु0क0 / श0मो0ना0 गो0 –मिनि स्टे0 / 2021–22 दि0–03.11.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

Scanned with CamScanner

सलग्न - 1

कार्यालय जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक-665/युoकo/शoमोoनाoगोo-मिनी स्टेo/2022-23 दिनांक-03-11-2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी

विषय- जनपद -नैनीताल के शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनि स्टेडियम लालकुआं के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 हैo वन भुमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु युवा कल्याण एवं प्राoरo दल विभाग को हस्तान्तरण (**online No-FP/UK/OTHRRS/21599/2016**)

संदर्भ- कार्यालय -अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड का पत्रांक-1512/ FP/UK/OTHRRS/21599/2016) दिनांक 22.12.2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयगत प्रकरण में लगाई गयी अपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण/आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-

कम संख्या	EDS	आपत्ति का निराकरण/आख्या
01-	बिन्दु संख्या-01,02,एवं 03 संज्ञान लेते हुवे यह ज्ञात हुवा है कि, विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु लिया गया क्षेत्रफल वन भूमि के प्रत्यावर्तन की प्राथमिक शर्त जिसके अनुसार minimum area requirment हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना चाहिये की पूर्ती नहीं करता है। सभी प्रस्तावित components के साथ अतिरिक्त लिया गया है तथा कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त लिया गया है जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है।	परियोजना प्रवन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के मानकों के अनुरूप साइट प्लान तैयार किया गया है, जो कि प्रतिवर्ष 10-11 खेल विधाओं में खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आवश्यक है। **उक्त भूमि पर 200 मी0 का रनिंग ट्रेक के अलावा बॉलीवाल कोर्ट, खो-खो कोर्ट, कबड्डी, कुश्ती पिच आदि का निर्माण किया जायेगा एवं साथ ही अन्य निर्माण कार्य किये जायेंगे-जैसे प्रशासकीय ब्लॉक, मल्टीपरपज हॉल, पम्प हाउस व जेनेरेटर रूम, बाउड्रीवाल, पवेलियन, इन्डोर गेम हॉल, चेन्जिम रूम, गार्ड रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, पेयजल व्यवस्था अन्य सम्बन्धित निर्माण कार्य होंगे, जिस हेतु अतिरिक्त भूमि की जरूरत है।** उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत। उक्त साइट प्लान को ऑनलाइन part 01-additional information में अपलोड कर दिया गया है। परियोजना प्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय द्वारा बनाया गया standard design पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। **जिये पुनः संलग्न किया जा रहा है।** 1.5 हैo के अतिरिक्त अन्य खेल सुविधाओं के विकास हेतु 4.9962 हैo भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। जिन्हें ऑनलाइन part 01-additional information में अपलोड कर दिया गया है।
02-	मिनी स्टेडियम हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टैन्डर्ड डिजाइन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में (प्रस्ताव क0 FP/UK/OTHRRS/ 50039/2020) sports stadium 1.5 है0क्षे0 का अनुमोदन किया गया है। अतः प्रस्तुत उत्तर मान्य नही हैं। प्रस्तावित क्षेत्र 4.9962 है0 दर्शाया गया है, जो अत्यधिक है।	
03-	साथ ही समीप एक अन्य खेल मैदान उपस्थित है। अतः नये क्षेत्र में 365 वृक्षों के पातन उपरान्त एक अतिरिक्त स्टेडियम का निर्माण मान्य नहीं हैं। अतः अनुरोध हैं कि पूर्व स्थित खेल मैदान पर ही standerd desine के अनुसार खेल स्टेडियम निर्माण	उक्त प्रस्तावित भूमि के आस पास कोई भी अन्य खेल मैदान नहीं है। साथ ही कार्यालय पत्र संख्या 713/शoमोoनाoगोo-मिनी स्टेo/ 2021-22 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा उक्त आपत्ति के निराकरण हेतु विस्तृत आख्या प्रस्तुत। संयुक्त रिपोर्ट part 01- additional information में अपलोड

Scanned with CamScanner

	का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	कर दी गयी है। एवं विभाग ये प्रयास करेगा कि उक्त स्टेडियम निर्माण में कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा, एवं विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण विषयक प्रमाण पत्र भी अपलोड किया है। प्रस्तावित भूमि के उत्तर में ITBP बाउन्ड्री वाल (वन भूमि हस्तान्तरित), दक्षिण में वन विकास निगम का प्रकाष्ठ डिपो भण्डारण हेतु, पूरब में ITBP बिन्दुखत्ता सम्पर्क मार्ग, पश्चिम में इण्डियन ऑयल डिपो से लालकुआं 25 एकड मार्ग तथा अवासीय प्रयोजन हेतु संचुरी पेपर मिल को लीज पर दी गयी वन भूमि है।
04–	बिन्दु संख्या 08 के सापेक्ष उपयुक्तता प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हैकि CA क्षेत्र का निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया गया है अथवा नहीं कृपया प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किये निरीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त यह पुष्टि करें प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों का गणना पत्रक भी प्रस्तुत करें।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल वनाच्छादित नही है। जिसका घनत्व 0.4 से कम है। उक्त क्षेत्र में 1000 पौंध प्रति है0 वृक्षारोपण किया जा सकता है। पुनः आपके कार्यालय पत्र सं0–1096 / 12–1–2 बागेश्वर दिनांक 27.09.2022 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। **प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या तथा प्रमाण पत्र संलग्न है।** तथा part 01- additional information में अपलोड कर दिया गया है।

नोटः– क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी हल्द्वानी के पत्रांक–783 दिनांक 10.08.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण आपको पूर्व में प्रेषित किया गया है। आपत्तियों को पुनः निराकरण करते हुये प्रस्ताव बिन्दु संख्या 01, 02, 03 एवं 04 में उल्लिखित प्रपत्रों को संलग्न कर आपको ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है। कृपया उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

03/11/2022

(प्रतीक चन्द्र जोशी)
जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0र0द0 अधिकारी
नैनीताल

प्रतिलिपिः–

1– श्री डी0एन0 काण्डपाल क्षे0यु0क0 एवं प्रा0र0द0 अधिकारी हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क उपरोक्तानुसार आपत्तियों के निराकरण हेतु अपने स्तर से कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2– मा0 विधायक विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी
प्र० वि० सं० 4727
पञी० सं० 12
दिनांक 7/11/2022

7/11/22

जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0र0द0 अधिकारी
नैनीताल

कार्यालय जिला युवा कल्याण एंव प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक– 713 यु0क0 / रा0नो0ना0गो0–मिनी स्ट0 / 2021–22 दिनांक–29-10-2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।

विषय– जनपद नैनीताल के अर्न्तगत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम लालकुआ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु युवा कल्याण एव प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/Others/21599/2016)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8वी / यू.सी.पी. / 09 / 60 / 2021 / एफ0सी0 / 94 दिनांक– 22.04.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयगत प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियो का बिन्दुवार निराकरण / आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

क.स.	EDS	आपत्ति का निराकरण / आख्या
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि उनके द्वारा Mini Stadium के निर्माण हेतु Standard design की प्रति उपलब्ध करायी जाये क्योकि Open ground for sports activities हेतु 4.60 हे0 क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कि अत्यधिक प्रतीत होता है।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 10 – 11 खेल विधाओ मे खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अतः प्रस्तावित मिनी स्टेडियम मे एथलेटिक्स ट्रक व अन्य खेल विधाओ के आयोजन व प्रशिक्षण हेतु सुविधाऐं विकसित करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य मे खेल एव युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित स्टेडियमो का निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एव निर्माण निगम खेल इकाई (निर्माण शाखा) देहरादून के द्वारा मानको के अनुरूप साइट प्लान तैयार किया गया है। जिसके अनुसार मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु कुल प्रस्तावित क्षेत्र 4.99 हे0 का सदुपयोग किस प्रकार एथलेटिक ट्रक व अन्य खेल विधाओ के आयोजन एव प्रशिक्षण मे किया जायेगा। उक्त साइट प्लान को ऑनलाईन Part-I, Additional Information मे अपलोड किया गया है।
2	प्रस्तावित क्षेत्र के समीप ही पर्याप्त मात्रा मे Open Ground उपलब्ध है। उसमे भी Mini Stadium का निर्माण किया जा सकता है।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध मे वन विभाग, राजस्व विभाग एव प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधियो द्वारा दिनाक 29.07.2021 को प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण मे पाया गया कि उक्त प्रस्तावित मिनी स्टेडियम के उत्तर मे आई0टी0बी0पी0 परिसर (वन भूमि हस्तान्तरण), पश्चिम मे इण्डियन आयल डिपो तथा सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर की आवासीय कॉलोनी (लीज पर आवंटित वन भूमि) एव दक्षिण मे वन विकास निगम उत्तराखण्ड का प्रकाष्ठ डिपो [illegible] हेतु लीज पर आवंटित वन भूमि तथा पूरब मे [illegible] सम्पर्क मार्ग स्थित है। [illegible] संयुक्त निरीक्षण मे पाया गया कि मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के आस-पास विकल्प के रूप मे अन्य कोई खाली भूमि उपलब्ध नही है। उक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन Part I, Additional Information मे अपलोड की गयी है।

Scanned with CamScanner

	The proposal is for non site specific activities and entire area falls in reserve forest area with enumeration of 365 trees involve in the proposal. State Govt. is requested to select some other land other than forest and having less no. of trees for the purpose.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परियोजना के निर्माण हेतु अन्य कोई सिविल सिविल–सोयम एव वन पंचायत भूमि उपलब्ध नही है तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी भी परियाजना हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण–पत्र द्वारा दिया गया है जिसे ऑनलाईन Part-I. Additional Information में अपलोड किया गया है। प्रस्तावित वन भूमि में 365 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्माण कार्य के दौरान न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रयास किया जायगा। न्यूनतम वृक्षों का पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र ऑनलाईन Part-I. Additional Information में अपलोड किया गया है।
4	It is seen that habitation exits at three side of proposed area. Dfo may verify whether any kind of encroachment is there.	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।
5	Details of alternative not provided at Para D in part-I. The detail and comments of State Govt. are requested to be furnished to be guideline in this regard which is as follows: "**Diversion of forest land for non site specific projects:** A number of proposal for diversion of forest land for non site specific project like, Industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation, of displace persons, etc, received by the central Govt. Attention is drawn to item 1(iv) and 8 of the Form 'A' in which the proposal is to be submitted by the state Govt, in these columns, justification for locating the project in the forest area. Giving details of the alternatives examined and reason for there rejection has to be furnished. Normally, there should not be any justification for locating non site specific projects on forest land. Therefore, the State Govt. should scrutinize the alternatives in more details and must give complete justification establishing its inescapability for locating the project in forest area.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु सिविल, सिविल–सोयम एव वन पंचायत भूमि तथा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण ही प्रस्तावित वन भूमि का चयन किया गया। सम्बन्धित जिलाधिकारी भी परियोजना हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण–पत्र द्वारा दिया गया है जिसे ऑनलाईन Part-I. Additional Information में अपलोड किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण किये जाने की घोषणा शहीद मोहन नाथ गोस्वामी, निवासी– लालकुऑं के नाम पर की गयी है। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के परिजनो तथा क्षेत्रीय जनता द्वारा लालकुऑं के समीप ही उक्त मिनी स्टेडियम के निर्माण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः उपरोक्त कारणों से ही मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु उक्त प्रस्तावित वन भूमि चयनित की गयी है।
6	Sub division level committee (SDLS) meeting proceeding of Nainital and Haldwani found uploaded but complete area marked in Haldwani forest division as per Part II. State Govt. may clarify.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल जनपद नैनीताल के अन्तर्गत होने के कारण जिलाधिकारी नैनीताल की वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की गयी है। साथ ही प्रस्तावित स्थल उप जिलाधिकारी हल्द्वानी के क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित खण्ड स्तरीय समिति की बैठक की गयी है। वन

Scanned with CamScanner

		अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित उक्त प्रमाण–पत्रों को ऑनलाईन Part-I, Para K(I)(a) में अपलोड कर दिया गया है। बिन्दु में उल्लिखित Part II प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
7	FRA certificate of DM is dated 10.08.2016 however SDLC meeting of Haldwani held on 11.06.2019. State Govt. may clarify this and provide the correct information document.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में सम्बन्धित जिलाधिकारी की वन अधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक 19.07.2021 को पुनः आयोजित करायी गयी तथा वन अधिकार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी पुनः निर्गत किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित संशोधित प्रमाण–पत्रों को ऑनलाईन Part-I, Para K(I)(a) में अपलोड कर दिया गया है।
8	As per DSS analysis, 8 ha area found in MDF. DFO may inspect the area and submit inspection report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated of not. If not, than the plantation scheme as per guidance dt. 8.11.2017 may be submitted. DFO may also submit the feasibility of plantation in proposed steep slope of CA area.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नही है। जिसका घनत्व 0.40 से कम है तथा उक्त क्षेत्र में 1000 पौंध प्रति है0 वृक्षारोपण किया जा सकता है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग की निरीक्षण आख्या तथा प्रमाण–पत्र संलग्न है तथा जिन्हे ऑनलाईन Part-I, Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
9	As per detail at para 8 (ii) proposed land is part of Shivalik Elephent Reserve. Dfo may verify whether any approval applied or taken from CWLF/ NBWL.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में मुख्य वन जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र को ऑनलाईन Part-I, Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
10	Details of 356 trees uploaded in Part II in para-4 wherein 171 trees show between 0 to 30 cm however details 356 trees shown in enumeration list wherein no tree falls in 0 to 30 cm. Detail of other class also do not match. State Govt. may clarify this discrepancy and submit correct information in this regard.	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।
11	CA site suitability certificate and aerial distance certificate not found uploaded, Which is required to be submitted uploaded.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण–पत्र तथा प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ वन्य जीव अभ्यारण्य / राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र को ऑनलाईन Part-I, Additional Information में अपलोड कर दिया गया है।
12	Land schedule not countersigned by DFO. State Govt. may submitted uploaded the land schedule duly countersigned by concerned DFO.	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि का लैण्ड शेड्यूल सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है तथा प्रस्ताव में प्रपत्र–11 पृष्ठ स0 22 के रूप में संलग्न है एवं ऑनलाईन Part-I, Additional Information में अपलोड किया गया है।
13	Area mentioned in DFO's SIR is 3.90 ha. Further comments against para 5.3 not submitted. State Govt. may submitted the SIR of DFO mentioned the correct area	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।

Scanned with CamScanner

	and providing comments against para 5.3 of SIR.	
14	DFO has not submitted his comments is SIR as the area falls in Shivalik Elephant Revised. DFO may also provide his comments in the SIR.	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से अपेक्षित है।

अतः उक्त प्रकरण में आपत्तियों का निराकरण करते हुये प्रस्ताव पुनः ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही उक्त बिन्दु सं0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 11 में उल्लेखित प्रपत्रों को संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप्ति जोशी)
जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0र0द0 अधिकारी,
नैनीताल।

OK

प्रतिलिपि– 1– श्री राजदीप पंत, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार आपत्तियों के निराकरण हेतु अपने स्तर से कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2– मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र लालकुआं को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला युवा कल्याण एवं
प्रा0र0द0 अधिकारी,
नैनीताल।

OK

Scanned with CamScanner

संलग्न - 2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स न0 05963–220209

पत्रांक 1096 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 27/ 9 /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय – जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या–257/2018 बिन्दुखत्ता में शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा के निर्माण हेतु 4.9962 वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 FP/UK/Others/21599/2016)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 6272/12–1 दिनांक 30.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा 8बी/यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/94 दिनांक 22.04.2021 से लगयी आपके के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा पत्रांक 275/यु0क0/श0मो0ना0गो0–मिनीस्टे0/2019–20 दिनांक 23.06.2021 से बिन्दु संख्या 08 के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र सिविल भूमि गासी की सूचना के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वयं दिनांक 07.06.2021 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का वन क्षेत्राधिकारी ग्लेशियर के साथ स्थलीय निरीक्षण कर इस कार्यालय के पत्रांक 305/12–1–2 दिनांक 19.07.2021 से प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तावक विभाग को अवगत करा दिया गया था। (संलग्न–1)

अतः उक्त प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा बिन्दु संख्या 04 पर लगायी गयी आपत्ति के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण का प्रमाण पत्र (संलग्न–2) तथा क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों की गणना सूची (संलग्न–3) संलग्न कर प्रस्ताव में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

श्रीमती [illegible]

कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी
प्र० प्रि० स० 3745
पत्री० स० 12-1
दिनांक 10/10/2022

10/10/22

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

पत्रांक / 12-1-2 दिनांकित ।

प्रतिलिपि – जिला युवा कल्याण, एवं प्रान्तीय रक्षक दल, अधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार। 2 प्रति

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\ other letter.docx"

Scanned with CamScanner

संलग्न-1-1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249वन मित्र काल सेटरं– 9208008000

पत्रांक 305 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 19 / 07 / 2021

सेवा में,

जिला युवा कल्याण,
एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
नैनीताल।

विषय – जनपद नैनीताल के अर्न्तगत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम लालकुआं के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–21599/2016)

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 275/यु0क0/श0मो0ना0गो0–मिनीस्टे0/2019–20 दिनांक 23.06.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति के कम में बिन्दु संख्या–08 के सम्बन्ध मे उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र सिविल भूमि का पुनः स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसकी जॉच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– प्रमाण पत्र। मूलसें

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

o/c

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"

Scanned with CamScanner

<u>प्रमाण पत्र</u>

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम लालकुंआ के सम्बन्ध में।

परियोजना का ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UK/others/21599/2

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम लालकुंआ का निर्माण।

जनपद का नाम– नैनीताल

परियोजना का क्षे० (है० में)– 4.9962 है०

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता– जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक नैनीताल

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जनपद बागेश्वर में चयनित भूमि गासो सिविल में 9.9924 है० क्षे० का स्थलीय निरीक्षण में पाया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है। जिसका घनत्व 0.4 से कम है उक्त चयनित क्षेत्र में 1000 पौध प्रति है० वृक्षारोपण किया जा सकता है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
ग्लेशियर वन क्षेत्र

कार्यालय जिला युवा कल्याण एंव प्रान्तीय रक्षक दल नैनीताल।

पत्रांक–245 / यु0क0 / श0मो0ना0गो0–मिनीस्टे0 / 2019–20 दिनांक–28-6-2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– <u>जनपद नैनीताल के अर्न्तगत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम लालकुआं के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु युवा कल्याण एंव प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/Others/21599/2016)</u>

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8वी./यू.सी.पी./09/60/2021/एफ0सी0/94 दिनांक– 22.04.2021

महोदय,

अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में कतिपय आपत्तियों के निराकरण हेतु लिखा गया है।

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित विन्दु संख्या–8 में आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। (संलग्नक 1)

अतः भारत सरकार का उक्त सन्दर्भित पत्र एंव आपके स्तर से प्राप्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन की प्रति (संलग्नक 2) सुलभ सन्दर्भ हेतु आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि कृपया अपने स्तर से प्रकरण पर कार्यवाही कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

<u>संलग्नक</u>– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप्ति जोशी)
जिला युवा कल्याण एंव
प्रा0र0द0 अधिकारी,
नैनीताल।

पंजीयन संख्या 5834
दिनांक 28/6/2021
शाखा
फाइल संख्या 12-1-2
आवश्यक कार्यवाही करें :

व0 प्रशा0 अधि0

प्र0 व0 अ0

प्रस्तावित योजना का नाम :— जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम लालकुऑ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 है0 के सम्बन्ध मे।

परियोजना का ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या :— FP/UK/OTHERS/21599/2016

परियोजना का नाम एवं जनपद :— जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम लालकुऑ के निर्माण कार्य हेतु 4.9962 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो के सम्बन्ध मे।

जनपद :— नैनीताल

प्रभाग का नाम :— तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

परियोजना का क्षेत्रफल (है0 में) :— 4.9962 है0

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :— जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक नैनीताल।

प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जनपद बागेश्वर में चयनित सिविल भूमि गासी में 9.9924 है0 क्षेत्रफल का दिनांक 07.06.2021 को श्री हिमांशु बागरी (प्रभागीय वनाधिकारी) द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का औसतन घनत्व 0.4 से कम है, उक्त क्षेत्र में 1100 पौध प्रति है0 वृक्षारोपण किया जा सकता है।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1616/11
16/9/2022

कार्यालय ग्लेशियर वन क्षेत्र, (कपकोट)

पत्रांक ___ /12–1 कपकोट दिनांक : 15 /09/2022

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा की गई घोषणा सं0–257/2018 "बिन्दुखत्ता में शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा के निर्माण हेतु 4.9962 वन भूमि का युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके निर्देशानुसार गांसी सिविल में विद्यमान वृक्षों की गणना दिनांक 12.09.2022 को श्री गणेश चतुर्वेदी उपवनक्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई, जिसका विवरण निम्नवत है–

क0 सं0	प्रजाति का नाम	व्यासवार गोलाई							योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70 से ऊपर	
1	चीरड़	15	35	2	–	–	–	–	52
2	बांज	2	4	12	6	–	–	–	24
3	बुरांश	7	17	27	–	–	–	–	51
4	खरसों	2	12	14	17	3	–	–	48
5	तिलौंज	13	17	15	2	–	–	–	47
6	घिंघारु	17	–	–	–	–	–	–	17
7	मेहल	3	17	15	–	–	–	–	35
	योग	59	102	85	25	3	–	–	274

अतः वृक्षों की गणना कर गणना सूची महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी
ग्लेशियर वन क्षेत्र

320
19/9/22
12-1-2

Scanned with CamScanner